भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2661

11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबीडीएम के अंतर्गत डिजिटल स्वास्थ्य खातो की स्थिति

2661 श्री संजय सेठ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत देशभर में बनाए गए डिजिटल स्वास्थ्य खातों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में एआई नैदानिक उपकरणों को सुरक्षित रूप से शामिल करने के लिए विकसित किया गया नियामक ढांचा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने इस वर्ष गैर-संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय जांच कार्यक्रमों का विस्तार किया है;
(घ) तृतीयक चिकित्सा देखरेख में अवसंरचना से जुड़ी असमानताओं को खत्म करने के लिए लागू किए गए लक्षित उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट (आभा), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का एक आधारभूत घटक है। यह 14 अंकों की एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा पारितंत्र में अपने डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों को सुरक्षित रूप से पहुँच और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है। देशभर में 6 अगस्त, 2026 तक कुल 96.22 करोड़ आभा बनाए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 17 फरवरी, 2026 को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत में स्वास्थ्य परिचर्या के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी कार्यनीति (एसएएचआई) तथा स्वास्थ्य एआई के

लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म (बीओडीएच) का शुभारंभ किया गया। एसएएचआई एक राष्ट्रीय मार्गदर्शन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य-आधारित और समावेशी रूप से अपनाने में सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन भारत (एचटीएआईएन), जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक सहबद्ध कार्यालय है, पेश आ रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों (डीएचटी) का उनकी सुरक्षा, नैदानिक प्रभावशीलता, मूल्य और विस्तार-क्षमता के आधार पर मूल्यांकन करता है। जिन प्रौद्योगिकियों की नैदानिक प्रभावशीलता प्रमाणित हो जाती है, उनका व्यापक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (एचटीए) किया जाता है, जिससे जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में उनके लागत-किफायती अंगीकरण और परिनियोजन को सहायता देने के लिए साक्ष्य उपलब्ध होते है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को चिकित्सा उपकरण सॉफ्टवेयर के रूप में विनियमित करता है।

मंत्रालय ने गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) को सुदृढ़ करना जारी रखा गया है, जिसके अंतर्गत देशभर में निवारक, जांच एवं उपचार सेवाओं का विस्तार किया गया है। कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण एवं जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल देशभर में लागू की गई है। इस पहल के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सभी स्तरों की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों पर जांच के लिए लक्षित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, गैर-संचारी रोगों से संबंधित सेवाओं के वितरण को सुदृढ़ करने के लिए गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत देशभर में 770 जिला गैर-संचारी रोग क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 गैर-संचारी रोग क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। साथ ही, जिला स्तर पर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी और अन्य कैंसर परिचर्या केंद्रों पर पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से देशभर में 524 जिला डे-केयर कैंसर केंद्र कार्यशील हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा (ई-संजीवनी) नामक टेलीमेडिसिन सेवा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या उनके निकट उपलब्ध कराना है। ई-संजीवनी के माध्यम से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आने वाले रोगियों को लंबी दूरी की यात्रा किए बिना विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य परिचर्या कर्मी स्थानीय स्तर पर रोगियों की सहायता करते हैं, जबकि जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ दूरस्थ रूप से विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श एवं ई-प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराते हैं। इस व्यवस्था से जेब से होने वाले व्यय, रेफरल में होने वाले विलंब तथा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य

सुविधा केंद्रों पर अत्यधिक भीड़ में उल्लेखनीय कमी आती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का उद्देश्य किफायती, साम्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है तथा इसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, किफायती एवं विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना तथा 75 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के उन्नयन को सहायता प्रदान की गई है।

औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि सक्रिय औषधीय घटकों के घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं:

i. औषधियों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में निवेश और उत्पादन में वृद्धि करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना तथा औषधि क्षेत्र में उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की ओर उत्पाद विविधीकरण में योगदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र उत्पाद श्रेणियों में अनुमोदित उत्पादों के उत्पादन के लिए 55 कंपनियों/औषधि संस्थाओं का चयन किया गया है।
ii. भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक पदार्थों (केएसएम)/औषधि मध्यवर्तियों (डीआई)/सक्रिय औषधीय संघटकों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसे बल्क ड्रग्स के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना के रूप में भी जाना जाता है: इस योजना का उद्देश्य उन महत्वपूर्ण सक्रिय औषधीय संघटकों (एपीआई), जिनका उपयोग ऐसी महत्वपूर्ण औषधियों के निर्माण में किया जाता है जिनके कोई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, की आपूर्ति में व्यवधान को रोकना है। इसके अंतर्गत एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम को कम किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 48 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
